न्यायालय सहायक कलक्टर रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार न्योल,R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 27/2016 रे.वाद

माधवलाल बनाम शंकरलाल व अन्य

दिनांक – 10/09/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी.

–: आदेश :–

प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. के प्रस्तुत किया कि वादी की ओर से उक्त वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं भूमियों के विभाजन के अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है। जो अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 53 के तहत प्राप्त होते है। वादी ने अपने वादपत्र के माध्यम से 60 X 108 फिट के बाडे को जो कि जमाबन्दी में किस्म मकान है। उस भूखण्ड को मकान की भूमि के स्वत्व की घोषणा चाही गई है, जो मकान वक्त पेमाईश से स्थित होना व अंकन होना बताया है। जो पूर्णतः आबादी होकर अकृषि भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत घोषणा का वाद कृषि भूमियों के संबंध में ही लाया जा सकता है तथा कृषि भूमियों वे होती है जो काश्त योग्य होकर उसका राजस्व लगान निर्धारित होता है। बिना लगान की भूमि कृषि भूमि नही होकर उक्त भू भाग के खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत घोषित नही किये जा सकते है। जो विधि से वर्जित है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता विपक्षी/वादी ने खण्डनात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया कि कृषि भूमियों के घोषणा एवं विभाजन के लिए अनुतोष प्रदान कराने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। सिविल न्यायालय को नही है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 के विवरण में जमाबन्दी में भूमि वर्गीकरण मकान के रूप में अवश्य दर्ज है किन्तु उक्त भूमि कृषि भूमि है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में गलत होंकर अस्वीकार है। कृषि भूमियों के सन्दर्भ में घोषणात्मक एवं विभाजन का अनुतोष राजस्व न्यायालय के द्वारा ही प्रदान किय जा सकता है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण के ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया इसके खण्डन में विपक्षी/वादी

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र के निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता विपक्षी/वादी ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण S.B. CIVIL MISC, APPEAL NO. 1644/2012 Date of Judgment 22.082016 के नजीर पेश की गयी।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त आराजियात किस्म मकान अंकित होकर लगान भी अंकित नही है, जिसे विपक्षी/वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में भी स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि किस्म होकर कृषि भूमि नही होकर अकृषि भूमि होना प्रतीत होता है और अकृषि पर हक एवं अधिकारो का निर्धारण किया जाना इस न्यायालय का क्षैत्राधिकार नही हो सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार है। जिससे वादग्रस्त अकृषि भूमि के सम्बन्ध में अपने हक एवं अधिकरों हेतु वादी सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर करा राहत प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादीगण अपना उक्त प्रार्थना पत्र सिद्व करने में सफल रहे है तथा अधिवक्ता विपक्षी/वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त नजीर इस प्रकरण में चस्पा नही होती है।

: : आदेश : :

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्रि पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आदेश आज दिनांक 10/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

मूलवाद मे डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 12/2021

अनवान

1. माधवलाल पिता नानालाल जाट निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1. शंकरलाल पिता मदनलाल ढोली निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. शिवलाल पिता मदनलाल ढोली निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. भंवरीबाई पत्नि मदनलाल ढोली निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. नन्दकिशोर माता दाखी पिता बिहारीलाल ढोली निवासी सुभाष नगर पीर बावजी के पास कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
5. राजु पिता माधुलाल ढोली निवासी खुटियाणी मोहल्ला महादेव जी की गली शहर चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ
6. दिपक पिता माधुलाल ढोली निवासी खुटियाणी मोहल्ला महादेव जी की गली शहर चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ
7. रामेश्वर पिता धनराज ढोली निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. रामचन्द्र पिता धनराज ढोली निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. राधेश्याम पिता धनराज ढोली निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. ब्रजराम पिता धनराज ढोली ढोली निवासी सादडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
11. रामप्यारी पिता धनराज पत्नि किशनलाल ढोली निवासी टेलीफोन एक्सचेन्ज में लिपिक निवासी सुभाष नगर पीर बावजी के पास कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
12. भैरूलाल पिता रामलाल ढोली निवासी लापस्या तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
13. श्यामलाल पिता रामलाल ढोली निवासी लापस्या तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

14. बद्रीलाल पिता रामलाल ढोली निवासी लापस्या तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
15. मोहनी पिता रामलाल पत्नि पुखराज ढोली निवी होलीथान जाटों की पोल आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द
16. दुर्गाशंकर पिता जयकिशन ढोली निवासी कुमावतों का मोहल्ला चंवरा आसोटिया (फौत होने से)
16/1. उमेश पिता दुर्गाशंकर राव (ढोली) निवासी कुमावतों का मोहल्ला चंवरा आसोटिया तहसील व जिला राजसमन्द
16/2. गुड्डी पुत्री दुर्गाशंकर पत्नि सत्यनारायण राव (ढोली) निवासी संग्रामपुरा तहसील संग्रामपुरा जिला चित्तौडगढ
17. मोती पिता जयकिशन राव (ढोली) निवासी कुमावतों का मोहल्ला चंवरा आसोटिया तहसील व जिला राजसमन्द
18. रामचन्द्री पिता जयकिशन पत्नि भैरूलाल ढोली निवासी कुमावतों का मोहल्ला चंवरा आसोटिया तहसील व जिला राजसमन्द
19. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा तह0 रेलमगरा

प्रतिवादीगण

दावा :– वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा
वादी की ओर से – श्री चावण्डसिंह शक्तावत, अधिवक्ता
प्रतिवादीगण की ओर से – श्री रोशनलाल साहू, मुरलीधर दशोरा, अधिवक्ता

में इस आशय मे दिनांक 10/09/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 10/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा